सुअर पालन व्यवसायियों को 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी

डेयरी और कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देने के अलावा, भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम) देश में सुअर पालन को भी बढ़ावा दे रहा है। पशुधन और कुक्कुट के नस्ल सुधार पर अपने उप-मिशन के तहत, एन एल एम उद्यमियों को सुअर पालन के लिए पूंजीगत लागत पर 50% (30 लाख रुपये तक सीमित) सब्सिडी दे रहा है।

यह योजना 2021-22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत में लागू की गई थी। यह योजना राज्य के पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है।

योजना के उद्देश्य

- सुअर पालन में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना।
- फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (आगे और पीछे की कड़ी) की स्थापना।
- आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देश की सुअर आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार।
- पोर्क में आयात निर्भरता को प्रतिस्थापित करने के लिए सुअर के मांस और सुअर-मांस के उत्पादों का निर्यात शुरू करना।
- वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण और रोग निवारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- निजी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठनों (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी), स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का सृजन।
- उद्यमी को केंद्र या राज्य सरकार/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले स्थानीय किसानों से न्यूनतम 100 सुअरियां और 25 सुअरों की संख्या

के प्रजनन पशुओं के साथ एक ब्रीडर फार्म की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- केंद्र सरकार परियोजना की लागत के लिए 50% या 30 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। परिवहन, बीमा और उपकरण/मशीनों के साथ आवास और प्रजनन पशुओं की लागत के लिए धन प्रदान किया जाता है।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी।

सहायता का प्रतिरूप

- दो किश्तों में कुल 50% पूंजीगत सब्सिडी (30 लाख रुपये तक सीमित)। सब्सिडी दो समान किश्तों में प्रदान की जाती है।
- पहली किश्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अनुसूचित बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) जैसे वित्तीय संस्थानों को बैंक या वित्तीय संस्थान के बाद उद्यमी/पात्र संस्थाओं के खाते में जमा करने के लिए जारी की जाती है। लाभार्थी को ऋण की पहली किश्त जारी करता है और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस आई ए) द्वारा इसकी पुष्टि करता है। परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा प्रमाणन के बाद लाभार्थी सिडबी द्वारा दूसरी किश्त जारी करने के पात्र होंगे।
- स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किश्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाती है जहां लाभार्थी का खाता है।
- सब्सिडी तभी जारी की जाती है जब लाभार्थी ने बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना के लिए 25% लागत का खर्च किया हो और एस आई ए द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा सत्यापन के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- स्व-वित्तपोषण प्रणाली द्वारा उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के नाम से प्रदान की जाती है।

- मूल बैंक गारंटी को एस आई ए की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा, बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठन (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूह (जे एल जी), स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियां।

परियोजना की निगरानी

एस आई ए इसके संचालन के संबंध में पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए परियोजना की निगरानी करेगी।

योजना के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in पर उपलब्ध है।